

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

गु. नं० ३३/१७ तारीख २३ 17.11.17

उजवान - प्यारे लाल बन्नाम रा० उ० प्रा वि० का हल
मा० कि० मानासुलापु० उ० धाना पार्क

प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा



प्राची की ओर से श्री हंसराम शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कर अप्राची को अरिये नोटिस से तालब किया जाकर दिनांक 4.12.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम







प्राची वकील उप० तहसीलदार टोडाभीम की शामिल हो चुकी है। अप्राची नं० की ओर से श्रीराम मेससी सुपापरील ने उपस्थिति दर्ज करायी। वकाएतनामा पेश करने के लिए साथ पाठ दिया गया। वकालतनामा दिनांक 31.1.18 को पेश हो।

वकालत उप० गतानुसार दि० 12-1-18 को पेश हो।

पचावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक 31-1-18 को पेश हो।


31-1-18
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

31-1-18

न्यायालय उप जिला कलक्टर हे

दिनांक	फर्द अहकाम
2-7-19	वकुलाय उप०/ द० का जबब पेश कले समय पाहा। P.O. सा० करौली पधारे ही द० का जबब पेश कले दि० 14-8-19 को पेश हो। 
14-8-19	वकुलाय उप०/ द० 07 R. 11 का जबब पेश कले दि० 4-9-19 को पेश हो। 
4-9-19	वकुलाय उप०/ द० 07 R. 11 का जबब अर्धी/ वकील ने पेश किया। जबब की प्रति वकील अर्धी ने प्राप्त की। वसि बरस द० 07 R. 11 दि० 19-9-19 को पेश हो। 
19-9-19	वकुलाय उप०/ प्रार्थना पत्र 07 R. 11 अर्षा बरस सुनी गई। अर्धी वकील द्वारा पेश दस्तावेज शामिल किया। वसि अर्षा द० 07 R. 11 दिनांक 1-10-19 को पेश हो। 
1-10-19	वकुलाय उप०/ P.O. सा० करौली पधारे ही गतानुसार दि० 3-10-19 को पेश हो। 
3-10-19	वकील अभ्यपस उपस्थित/ मूल दावा में प्रार्थना पत्र 07 R. जा० दीवानी स्वीकार होकर मूल दावा खारिज हो चुका है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र अर्षा निवेदाज्ञा में कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र अर्षा निवेदाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली के मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न है। 

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)